



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 2012-आश्विन 13, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2012

प्रारूप- चौदह

[नियम-18 (2) देखिये]

नगर विकास स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

क्र. 649/1-10/भोविप्रा/2012.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (3) के अधीन भोपाल विकास प्राधिकरण की एयरो सिटी फेस (2) योजना क्षेत्र के लिये नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :—

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, एम. पी. नगर, जोन-1, भोपाल.
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल, सदर मंजिल, भोपाल.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

योजना के अन्तर्गत सम्मिलित खसरों की सची :-

अनुसूची क्रमांक-1

एयरो सिटी फेस (2) योजना में सम्मिलित खसरों का विवरण

ग्राम मुबारकपुर

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा	योजना में सम्मिलित रकबा	एन एच तथा बाईपास में सम्मिलित रकबा
1	2	3	4	5
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
1.	200/1/1, 201/1, 288/202/1	0.565		
2.	200/1/2, 201/1, 288/202/1	0.370		0.370
	200/2, 201/2, 288/202/2	0.312		0.312
3.	200, 201, 288, 202/3/1	0.200		0.200
4.	200, 201, 288, 202/3/2	0.027		
		1.474	0.592	0.882
5.	202/1	1.247		
6.	202/2/1, 205/2	1.513		
7.	202/2/1, 205/2क	0.085		
8.	202/2/2	0.146		
		2.991	2.991	
9.	204/1/1	0.202		
10.	204/1/2	0.105		
11.	162/1	0.097		
		0.404	0.335	
12.	203	0.077	0.063	
13.	204/2	0.021	0.021	
14.	205/1	1.416	0.153	
15.	206/1	2.456	2.228	
16.	206/2	0.894	0.894	
17.	164, 165, 166/3	0.412	0.369	
18.	167/1	0.113	0.113	
19.	167/2	0.154	0.154	
20.	168, 169/1/1	0.405		
21.	168, 169/1/2	0.809		
22.	168, 169/2/1/1क	0.141		
23.	168, 169/2/1/1ख	0.064		

1	2	3	4	5
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
24.	168, 169/2/1/2क	0.109		
25.	168, 169/2/1/2ख	0.045		
26.	168, 169/2/1/3	0.154		
27.	168, 169/2/1/4	0.206		
28.	168, 169/2/1/5	0.113		
29.	168, 169/2/1/6	0.073		
30.	168, 169/2/1/7	0.053		
31.	168, 169/2/1/8	0.113		
32.	168, 169/2/1/9	0.101		
33.	168, 169/2/1/10	0.250		0.250
34.	168, 169/2/1	0.397		
35.	168, 169/2/2/1क	0.809		0.809
36.	168, 169/2/2/1ख	0.202		
37.	168, 169/2/2/2	0.142		0.142
38.	168, 169/2/2/3/1	0.340		0.340
39.	168, 169/2/2/3/2	0.320		
40.	168, 169/2/3 क	1.645		
41.	168, 169/2/3 क	0.050		0.050
42.	168, 169/2/3 ख	0.051		
43.	168, 169/2/3/2 ख	0.058		
44.	168, 169/2/4 क	0.059		
45.	168, 169/2/4 ग	0.103		
46.	168, 169/2/4ख	0.299		
		7.111	5.520	1.591
47.	170	1.303		1.303
48.	171, 173/2/1	0.036		
49.	171, 173/2/1/2	0.057		
50.	171, 173/2/1/1	0.061		
51.	171, 173/2/1/3	0.038		
52.	171, 173/2/2	0.049		
53.	171, 173/2/2/1	0.105		
54.	171, 173/2/2/2	0.154		
		0.500	0.500	

1	2	3	4	5
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
55.	172/1, 172/2, 172/1/3	0.198		
56.	172/1, 172/2, 172/3/1 ग	0.020		
57.	172/1, 172/2, 172/3/2	0.149		
58.	172/1, 172/2, 172/3/3	0.097		
59.	172/1, 172/2, 172/3/4 क	0.139		
60.	172/1, 172/2, 172/3/4 ख	0.083		
61.	172/1, 172/2, 172/3/5/1	0.059		
62.	172/1, 172/2, 172/3/5/2	0.058		
63.	172/1, 172/2, 172/3/7	0.105		
64.	172/1, 172/2, 172/3/8	0.097		
65.	172/1, 172/2, 172/3/9	0.129		
66.	172/1, 172/2, 172/3/10	0.049		
67.	172/1, 172/2, 172/3/11	0.049		
68.	172/1, 172/2, 173/3/12	0.109		
69.	172/1, 172/2, 173/3/13	0.097		
		1.438	1.438	
70.	173/1, 175/2, 174/2क	0.421		
71.	173/1, 175/2, 174/2ख	0.842		
		1.263	1.263	
72.	173/3, 174/1, 175/3, 178 क	4.492		
73.	173/3, 174/1, 175/3, 178 ग	0.485		
74.	173/3, 174/1, 175/3, 178 घ	0.485		
75.	173/3, 174/1, 175/3, 178 ङ	0.485		
76.	173/3, 174/1, 175/3, 178 च	0.485		
77.	173/3, 174/1, 175/3, 178 छ	0.485		
78.	173/3, 174/1, 175/3, 178 ख	0.149		
79.	175/1/1	0.105		
80.	175/1/2	0.036		
81.	175/1/2/1	0.073		
82.	175/4	0.081		
		7.361	7.361	

1	2	3	4	5
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
83.	176	0.632	0.632	
84.	180	1.072		1.072
85.	199/1/1 क	0.050		0.050
86.	199/1/1 ख	0.242		
87.	199/1/2 क	0.020		0.020
88.	199/1/2 ख	0.081		
89.	199/1/3	0.202		
90.	199/1/4	0.036		
91.	199/1/5	0.166		
92.	199/2	0.202		
93.	199/3	0.202		
94.	199/4/1	0.101		
95.	199/4/2	0.101		
		1.403	1.333	0.070
96.	234/1, 237/1/1 क	1.619	0.128	
97.	177	2.493	2.493	
98.	208, 209/2	4.475	1.690	
99.	185/1	0.182	0.182	
100.	184/1/1 d	0.202		
101.	184/1/1 [k	0.405		
102.	184/1/2 d	0.367		
103.	184/1/2 [k	0.240		
104.	184/1/3 d	0.048		
105.	184/1/3 [k	0.284		
106.	184/2	0.178		
107.	184/3	0.283		
		2.007	2.007	
108.	181/1/1-183/1/1, 181/1/2, 183/	0.093		
109.	181/1/3/1-183/1/3/1क,	0.060		

1	2	3	4	5
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
110.	181/1/3/2-183/1/3/2	0.444		
111.	181/1/3/3	0.416		
112.	181/1/3/4-183/1/3/1	0.390		
113.	181/1/4/1-183/1/3/2/2	0.422		
114.	181/1/4/2-183/1/4/2	0.324		
115.	181/3/2/2-183	0.048		
		2.197	2.197	
116.	284/173	0.211	0.044	
ग्राम मुबारकपुर योग . .		45.679	34.701	4.918

ग्राम कुराना

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा	योजना में सम्मिलित रकबा
1	2	3	4
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
1.	253	4.419	0.021
2.	254	7.49	4.780
3.	255	0.142	0.142
4.	256	0.04	0.040
5.	236	1.857	0.216
6.	237 (merged in 235)	8.626	0.694
7.	238	5.103	0.524
8.	257	1.263	0.065
9.	269	11.505	0.577
10.	270	9.085	0.083
ग्राम कुराना योग . .		49.530	7.142
ग्राम मुबारकपुर योग . .			34.701
ग्राम कुराना योग . .			7.142
कुल योग . .			41.843
103.35 एकड़			

अन्य सूचनाएं**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ममता पाटीदार पिता स्व. श्री श्रीराम पाटीदार, जन्म 05 जनवरी 1979, निवासी ग्राम-धरगाँव, जिला-खरगोन (मध्यप्रदेश) दिनांक 26 जनवरी, 2001 (शादी पश्चात्) से कविता पाटीदार पति श्री कमलेश पिता श्री भगवान पाटीदार, निवासी ग्राम सुलागाँव, तह- महेश्वर, जिला- खरगोन (मध्यप्रदेश) के नाम से जानी जा रही हूँ तथा आगे भी इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(ममता पाटीदार)

(कविता पाटीदार)

(151-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरे कुछ कागजात में मेरा नाम नीलेश पिता वीरेन्द्र कुमार मेहता लिखा है, जबकि कुछ कागजात में मेरा नाम नीलेश पिता विजेन्द्र कुमार मेहता लिखा है. अतः मुझे सभी जगह एक समान नाम नीलेश पिता विजेन्द्र कुमार मेहता लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(नीलेश पिता वीरेन्द्र कुमार मेहता)

(नीलेश पिता विजेन्द्र कुमार मेहता)

(156-बी.)

भोजका गली, किला रोड, मन्दसौर (मध्यप्रदेश).

फर्म भागीदार परिवर्तन सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मे. दीनदयाल स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, बारी, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) का पंजीयन दिनांक 05 सितम्बर, 2003 को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटीज, सागर संभाग, सागर द्वारा किया गया है. फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है:—

फर्म के भागीदार श्री द्वारका प्रसाद साहू ने स्वेच्छा से इस फर्म से अपने हिस्से की समस्त राशि वापिस प्राप्त कर फर्म से अपनी विधिवत् भागीदारी समाप्त कर ली है. श्री साहू का अब इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है.

मे. दीनदयाल स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, बारी में श्रीमती गुड्डी चौरसिया पत्नी श्री कृष्ण चन्द्र चौरसिया, निवासी महाराजपुर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) दिनांक 19 सितम्बर, 2012 से विधिवत् नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं. अतः अब इस फर्म में (I) श्री कृष्ण चन्द्र चौरसिया एवं (II) श्रीमती गुड्डी चौरसिया भागीदार रहेंगे.

कृष्ण चन्द्र चौरसिया,

मे. दीनदयाल स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज बारी,

जिला छतरपुर (म. प्र.).

(154-बी.)

फर्म भागीदार परिवर्तन सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मे. रीद्धि-सिद्धि ग्रेनाइट मिनरल्स, सिलपतपुरा, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) का पंजीयन दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटीज, सागर संभाग, सागर द्वारा किया गया है. फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है :—

फर्म के भागीदार श्री यतीन शर्मा ने स्वेच्छा से इस फर्म से अपने हिस्से की समस्त राशि वापिस प्राप्त कर फर्म से अपनी विधिवत् भागीदारी समाप्त कर ली है. अब श्री यतीन शर्मा का इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है.

फर्म में अब श्रीमती चेतना शर्मा पत्नी श्री रजनीकान्त शर्मा, निवासी ग्राम व पोस्ट बरबोदनिया, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) दिनांक 18 सितम्बर, 2012 से नये भागीदार के रूप में विधिवत् सम्मिलित हो गई हैं. अतः अब इस फर्म में (I) श्री रजनीकान्त शर्मा एवं (II) श्रीमती चेतना शर्मा भागीदार रहेंगे.

रजनीकान्त शर्मा,

मे. रीद्धि-सिद्धि ग्रेनाइट मिनरल्स,

ग्राम-सिलपतपुरा, जिला छतरपुर (म. प्र.).

(155-बी.)

गोदनामा एवं उत्तराधिकारी संबंधी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजेन्द्र कुमार बरसैयों आत्मज स्व. श्री बसंत लाल बरसैयों एवं धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता बरसैयों पति श्री राजेन्द्र बरसैयों, निवासी—01, गुरूकृपा, पैलेस ओर्चड (सी-निट्स कालोनी), सटई रोड, छतरपुर (मध्यप्रदेश) ने उमेश गुप्ता पिता श्री प्रभुदयाल गुप्ता एवं माता श्रीमती लता गुप्ता, निवासी—ग्राम व पोस्ट-राजापुर, तहसील व जिला-झांसी (उत्तरप्रदेश) को भारतीय गोदनामा निबंधक अधिनियम अनुसार उपनिबंधक द्वितीय झांसी (उत्तरप्रदेश) के कार्यालय में बही संख्या 04 जिल्द संख्या 38 पृष्ठ संख्या 105 से 128 तक क्रमांक 165 पर दिनांक 17 नवम्बर, 2011 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

गोदनामा रजिस्ट्रीकरण पश्चात् उमेश गुप्ता को उमेश गुप्ता-बरसैयों पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार बरसैयों एवं माता श्रीमती सुनीता बरसैयों निवासी—01, गुरूकृपा पैलेस ओर्चड (सी-निट्स कालोनी), सटई रोड, छतरपुर (मध्यप्रदेश) के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा. सभी संबंधित शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में राजेन्द्र बरसैयों एवं श्रीमती सुनीता बरसैयों के पुत्र के रूप में उमेश गुप्ता-बरसैयों का नाम अंकित किया जावेगा.

गोद धारक

राजेन्द्र बरसैयों, सुनीता बरसैयों,
निवासी-01, गुरूकृपा पैलेस,
ओर्चड (सी-निट्स कालोनी),
सटई रोड, छतरपुर (म. प्र.).

(153-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2012

क्र. जी. बी. चार/पेपर (के-11) 2012-13/3546.—वर्ष 2013 के सचित्र बहुरंगी कैलेण्डर, स्पायरल नोट बुक एवं पेपर कैरी बैग के पेपर एवं अन्य सामग्री सहित मुद्रण कर प्रदाय किये जाने हेतु शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पंजीकृत मुद्रकों/बाइण्डरों से तकनीकी विवरण एवं अर्हता रखने वाले निविदाकारों से पृथक्-पृथक् लिफाफों में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का प्रारूप उपलब्ध है।

3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर आवश्यक पूर्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को अपराह्न 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा. निविदा का टेक्निकल भाग-क उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी. निविदा का कॉमर्शियल भाग-ख खोलने की सूचना पृथक् से दी जाएगी.

(474)

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर, 2012

क्र. जी. बी. चार /पेपर (के-11) 2012-13/3604.—मध्यप्रदेश शासन की डायरी-2013 अनुमानित संख्या 1,50,000 डायरी के मुद्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर के ऐसे मुद्रकों एवं डायरी निर्माताओं से जिन्हें डायरी बनाने का मुद्रण सहित पर्याप्त अनुभव हो एवं जिनका वार्षिक टर्न ओव्हर रुपये 20 करोड़ हो एवं एक करोड़ चालीस लाख रुपये की डायरी बनाने का एक आर्डर अवश्य प्राप्त किया हो से मुहरबंद तकनीकी एवं कामर्शियल निविदाएं पृथक्-पृथक् लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा सूचना तकनीकी विवरण एवं निविदा की शर्तों का प्रारूप मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट www.tenders.gov.in. एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है।

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी. तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की कामर्शियल निविदा पृथक् से खोली जावेगी एवं उसकी सूचना भी दी जावेगी.

(479)

Bhopal, dated 4th October, 2012

No. GB-IV-Paper (k-11) 2012-13/3604.—Sealed tenders Technical & Commercial (in separate envelopes) are invited from the National Level Printers and Dairy Manufacturers who have sufficient experience of Printing and Manufacturing of Diaries of about 1,50,000 diaries of the Govt. of Madhya Pradesh-2013 and have annual turn over of Rs. 20 crores and have essentially obtained an order of manufacturing cost of Rupees one crore forty lakhs of Diaries.

2. The details of the tender notice, technical specification and terms of tender, draft are available at the website www.tenders.gov.in and www.govtpressmp.nic.in.

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **25th October, 2012** and the Envelope 'A' of Technical tender will be opened on the same day *i.e.* **25th October, 2012** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present. The Commercial Tender of the successful technical tenderers shall have opened separately and it shall also be intimated.

HEERALAL TRIVEDI,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(479-A)

न्यायालयों की सूचनाएं**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रतलाम**

जावरा, दिनांक 17/20 सितम्बर, 2012

प्र.क्र. 02 /बी-113/2011-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) के तहत]

क्र./2687/आर-1/2012.— आवेदक श्री साधुमार्गी जैन जवाहर ट्रस्ट जवाहर पथ, जावरा द्वारा अध्यक्ष श्री पारस काठेड़ व अन्य सदस्यगण द्वारा धारा-4 मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोपहर 02.30 बजे की जावेगी.

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 को इस कार्यालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता या अपने प्रतिनिधि के द्वारा दो प्रतियों में लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत दिनांक एवं समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. न्यास का पूरा नाम व पता | : | श्री साधुमार्गी जैन जवाहर ट्रस्ट 7, जवाहर पथ, जावरा |
| 2. अचल सम्पत्ति का विवरण | : | 1. भवन क्रमांक 7 जावहर पथ, जावरा
2. भवन क्रमांक 26 शुक्रवारियाँ, जावरा
3. भवन क्रमांक 8 सोमवारिया, जावरा
4. भवन क्रमांक 30/2 गांधी कॉलोनी, जावरा |
| 3. चल सम्पत्ति | : | कीमत लगभग रुपये 1 लाख |

के. वासुकि,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(475)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 08 अगस्त, 2012

प्र. क्र. 02/2011-12/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री रामशंकर मिश्रा, पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप, निवासी-42/1, मैनरोड लक्कड़खाना, लश्कर, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को विचार के लिये दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	..	“जानकी बल्लभ सेवा ट्रस्ट” फ्लैट 203, अमलतास अपार्टमेन्ट ग्रीन गार्डन पटेल नगर सिटी सेन्टर, ग्वालियर।
1. चल सम्पत्ति	..	निरंक
2. अचल सम्पत्ति	..	निरंक

अजय देव शर्मा,
पंजीयक।

(470)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बरेली, जिला रायसेन

दिनांक 14 सितम्बर, 2012

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्र.6472/R/12.— यह कि लोक न्यासों के पंजीयक, बरेली, जिला रायसेन के समक्ष श्री कैलाश नारायण सारंग, आ. स्व. श्री जगन्नाथ प्रशाद सारंग, निवासी हाल बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा-30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 में मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण)

- लोक न्यास का नाम और पता.— गोमतीबाई जगन्नाथ प्रशाद सारंग जनसेवा ट्रस्ट
वार्ड क्रमांक 14, श्री जी के मंदिर के सामने बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश।
- सम्पत्ति का विवरण.— एक मकान 32 ग 63 निर्मित एरिया भू-तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल वार्ड क्रमांक 14, श्री जी के मंदिर के सामने बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश मकान मालिक

श्री कैलाश नारायण सारंग आ. स्व. जगन्नाथ प्रशाद सारंग, निवासी हाल बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन.

आर. एस. गोहिल,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(455)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 07 सितम्बर, 2012

प्र. क्र. 02/बी-113 (4)/2011-2012.

प्रारूप-4

(नियम-5 देखिये)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, नीमच के समक्ष,

क्र. 2083/रीडर-1/2012.—चूँकि आवेदक डॉ. इकबाल हुसैन पिता रसूल भाई बोहरा, निवासी- बंगला नम्बर-49, वीरपार्क रोड, नीमच की ओर से फातेमी फाउंडेशन ट्रस्ट, बंगला नम्बर-49, वीरपार्क रोड, नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच के न्यास पंजीयन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को विचार के लिये लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना (विज्ञप्ति) द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, अनिल पटवा, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच अपने न्यायालय में दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतएव एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम और पता	..	फातेमी फाउंडेशन ट्रस्ट, बंगला नम्बर-49, वीरपार्क रोड, नीमच.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	रुपये 20,000/- आईडीबीआई बैंक, शाखा नीमच में न्यास के बाबत खाता क्रमांक 0364104000067254 में जमा है।

अनिल पटवा,
पंजीयक.

(456)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी

प्र. क्र. /बी-113(1)/2011-12.

प्रारूप-तृतीय

[नियम- 5 (1) देखिए]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष यह कि आवेदक नरेन्द्र ठाकुर पिता भगतसिंह ठाकुर व अन्य दस न्यासी सदस्य सिवनी, तहसील व जिला सिवनी ने "श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट" बैनगंगा शॉपिंग काम्पलेक्स बस स्टैंड, सिवनी थाना, तहसील व जिला सिवनी, का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 25 सितम्बर, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : "श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट, सिवनी"
2. चल सम्पत्ति : 5,000.00 (रुपये पाँच हजार रुपये)
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

(457)

सी. एस. शुक्ला,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास, पोहरी

प्र.क्र. /11-12/बी-113/897.

पोहरी, दिनांक 12 सितम्बर, 2012

प्रारूप-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि राजेन्द्र पुत्र बादामी लाल शर्मा श्री राधाकृष्ण मंदिर उत्थान लोक न्यास ट्रस्ट, ग्राम ऐचवाडा, परगना पोहरी, जिला शिवपुरी द्वारा शिवपुरी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 30 दिवस पर न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति के हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर 2 प्रतियों में तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : राधाकृष्ण मंदिर उत्थान न्यास (ट्रस्ट) ग्राम ऐचवाडा, परगना पोहरी, जिला शिवपुरी
2. अचल सम्पत्ति : ग्राम ऐचवाडा में भूमि 6.63 हे. प्रबंधक कलेक्टर राधाकृष्ण मंदिर के नाम है
3. चल सम्पत्ति : दो मुकुट चांदी के, करधौनी 1 चांदी की, गुट्टी झेला 1 चांदी की, जूड़ी 2 तथा छत्र 2, तोड़िया 1 जोड़ी चांदी की.

(458)

अतेन्द्र सिंह गुर्जर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली, जिला अशोकनगर

श्री दिगम्बर जैन, मन्दिर वैद्यजी वाला गांधी रोड, मुंगावली प्र. क्र. 233वी.113/73-74 के ट्रस्टीगण की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर नवीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति का आधीन धारा-25 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के तहत.

मंदिर के मृत ट्रस्टीगण

1. स्व. सवाई सिधई श्री कुन्दनलाल जी वैद्य
2. स्व. श्री कन्हेदीलाल जैन एडवोकेट
3. स्व. श्री शीलचंद जी सिधई
4. स्व. श्री उत्तमचन्द लचक्या
5. स्व. श्री मानिकचन्द जी मोदी

चयनित नवीन सदस्य ट्रस्टीगण

- श्री सुरेन्द्र जैन पुत्र स्व. कुन्दनलाल जी वैद्य
- श्री देवेन्द्र कुमार जैन पुत्र कुन्दनलाल जी जैन
- श्री अरविन्द सिधई पुत्र शीलचंद सिधई
- श्रीमती सुनीता जैन पत्नि सुरेन्द्र कुमार जैन
- श्री मनीष मोदी पुत्र सुभाषचन्द मोदी

(473)

रविशंकर पटले,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

विजय फास्फेट सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष,

विजय फास्फेट सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

विजय फास्फेट सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 375, दिनांक 19 अगस्त, 1983 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., लाल कुर्ती, सागर.

द्वारा : प्रदीप तोमर, अध्यक्ष,

चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., लाल कुर्ती, सागर.

पोस्ट—सदर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., लाल कुर्ती, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 730, दिनांक 19 मार्च, 1998 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के

पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है।

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है।

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे। निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(472-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

अल्प संख्यक लेदर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा :, अध्यक्ष,

अल्प संख्यक लेदर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर.

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

अल्प संख्यक लेदर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 15 मार्च, 1990 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है।

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है।

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे। निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(472-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

दाऊद आफसेट मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : मारुतिमणी नामदेव, अध्यक्ष,

दाऊद आफसेट मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

दाऊद ऑफसेट मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 132, दिनांक 05 मार्च, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

माँ हरसिद्धि सहकारी प्रिंटिंग प्रेस समिति मर्या., राहतगढ़.

द्वारा :, अध्यक्ष,

माँ हरसिद्धि सहकारी प्रिंटिंग प्रेस समिति मर्या., राहतगढ़,

पोस्ट—....., विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर.

माँ हरसिद्धि सहकारी प्रिंटिंग प्रेस समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चांदपुर.

द्वारा : राजकुमार सिंह, अध्यक्ष,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चांदपुर,

पोस्ट—, विकासखण्ड, जिला सागर.

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चांदपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चनौआवुजुर्ग.

द्वारा : कालूराम, अध्यक्ष,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चनौआवुजुर्ग.

पोस्ट—....., विकासखण्ड, जिला सागर.

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चनौआवुजुर्ग, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 486, दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवाधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चौरई.

द्वारा : कालूराम, अध्यक्ष,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चौरई.

पोस्ट—....., विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

तिलहन सहकारी समिति मर्या., चौरई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 02 नवम्बर, 1994 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली.

द्वारा : भगवानदास रैकवार, अध्यक्ष,

मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली,

पोस्ट—रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

राजघाट विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली.

द्वारा : वहादुरसींग, अध्यक्ष,

राजघाट विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली,

पोस्ट—मछुआखेड़ा, विकासखण्ड, जिला सागर.

राजघाट विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 784, दिनांक 07 अगस्त, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

कृषक बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., निवोदिया.

द्वारा : श्री राजेन्द्र कुमार, अध्यक्ष,

कृषक बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., निवोदिया,

पोस्ट—निवोदिया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर.

कृषक बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., निवोदिया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 135, दिनांक 23 जून, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम.

द्वारा : भगवत नारायण तिवारी, अध्यक्ष,

श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम,

पोस्ट—केखना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 अगस्त, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-K)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

रविदास हरिजन कामगार सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी.

द्वारा : श्री कंचेदी लाल, अध्यक्ष,

रविदास हरिजन कामगार सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

रविदास हरिजन कामगार सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 294, दिनांक 21 फरवरी, 1975 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-L)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी.

द्वारा : गणेश कुशवाहा, अध्यक्ष,

पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी.

पोस्ट—....., विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 631, दिनांक 27 मई, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-M)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

पशु संवर्धन कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : श्रीमती पुष्पलता, अध्यक्ष,

पशु संवर्धन कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

पशु संवर्धन कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 447, दिनांक 29 मार्च, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-N)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

दूरसंचार कर्म. सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : ओमप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष,

दूरसंचार कर्म. सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

दूरसंचार कर्म. सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 751, दिनांक 13 जुलाई, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहितों जारी किया गया.

(472-O)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

डाक विभाग कर्म. सहकारी समिति मर्या., खुरई.

द्वारा : श्री डी. सी. जैन, अध्यक्ष,

डाक विभाग कर्म. सहकारी समिति मर्या., खुरई,

पोस्ट—....., विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

डाक विभाग कर्म. सहकारी समिति मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 775, दिनांक 22 अप्रैल, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-P)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

हरि. नगर पालिका कर्म. सहकारी समिति मर्या., बीना.

द्वारा :, अध्यक्ष,

हरि. नगर पालिका कर्म. सहकारी समिति मर्या., बीना,

पोस्ट—बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

हरि. नगर पालिका कर्म. सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 425, दिनांक 13 मार्च, 1986 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हितों में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-Q)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

रहली नगर पालिका हरि. कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., रहली.

द्वारा : शंकरलाल रैकवार, अध्यक्ष,

रहली नगर पालिका हरि. कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., रहली,

पोस्ट—....., विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

रहली नगर पालिका हरि. कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 440, दिनांक 06 अक्टूबर, 1987 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवाधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-R)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

बुन्देलखंड अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., मोहननगर वार्ड, सागर.

द्वारा : राजेश सोनी, अध्यक्ष,

बुन्देलखंड अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., मोहननगर वार्ड, सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

बुन्देलखंड अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., मोहननगर वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 719, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-S)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., सानौधा.

द्वारा :, अध्यक्ष,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., सानौधा,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

तिलहन सहकारी समिति मर्या., सानौधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 13 फरवरी, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., गौरझामर.

द्वारा : प्रभुदयाल पाठक, अध्यक्ष,

तिलहन सहकारी समिति मर्या., गौरझामर,

पोस्ट—गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर.

तिलहन सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 13 दिसम्बर, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयवधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-U)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

माँ शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा.

द्वारा : क्रांतिबाई, अध्यक्ष,

माँ शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा,

पोस्ट—भोजपुरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

माँ शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 828, दिनांक 20 मई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-V)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

जय संतोषी माँ महिला प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : श्रीमती जसोदाबाई, अध्यक्ष,

जय संतोषी माँ महिला प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

जय संतोषी माँ महिला प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 654, दिनांक 20 नवम्बर, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-W)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

मधुकर शाह प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : राजेन्द्र कुमार, अध्यक्ष,

मधुकर शाह प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

मधुकर शाह प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 327, दिनांक 20 अप्रैल, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-X)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

राघव प्रा. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., गंभीरिया.

द्वारा :, अध्यक्ष,

राघव प्रा. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., गंभीरिया,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

राघव प्रा. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., गंभीरिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 710, दिनांक 04 अक्टूबर, 1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-Y)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

विविध शिल्पकला प्रा. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., खुरई.

द्वारा : अरूण नाहर, अध्यक्ष,

विविध शिल्पकला प्रा. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., खुरई,

पोस्ट—....., विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

विविध शिल्पकला प्रा. उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., खुरई, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 271, दिनांक 21 अक्टूबर, 1972 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अतः इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(472-Z)

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, जिला धार

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली,

पोस्ट—चिकली, तह. मनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 17 अगस्त, 2005).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देशवाल्या,

पोस्ट—देशवाल्या, तह. कुक्षी, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 26 अगस्त, 2005).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीबावड़ी,

पोस्ट—कालीबावड़ी, तह. मनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 1 अगस्त, 2006).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूण्डला,

पोस्ट—कालीबावड़ी, तह. धरमपुरी, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 1 अगस्त, 2006).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयविधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कंरोदिया,

पोस्ट—उमरबन, तह. मनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 1 अगस्त, 2006).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर भय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगाँव

पोस्ट—झिर्वा, तह. मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1812, दिनांक 1 अगस्त, 2006).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर भय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अहेरवास,

पोस्ट—कालीबावड़ी, तह. मनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1129, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयविधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोणी,

पोस्ट—लोणी, तह. कुक्षी, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 622, दिनांक 1 जनवरी, 1985).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या,

पोस्ट—पिपल्या, तह. कुशी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 31 मार्च, 2004).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा-पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललावदा,

पोस्ट—चिलूर, तह. धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 31 मार्च, 2004).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(459-1)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उखल्दा,

पोस्ट—उमरबन, तह. मनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 1 अगस्त, 2006).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयवाधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 3 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भंवर मकवाना,
उप-पंजीयक.

(459-J)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 05 सितम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/3200.—गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक-डी.आर.बी./373, दिनांक 05 सितम्बर, 1983 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री अनिल अग्रवाल ने अपने पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2012 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि संस्था के विरुद्ध जनसुनवाई व अन्य विभागों के माध्यम से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं. किन्तु संस्था के अभिलेख पूर्व पदाधिकारियों से प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतों का निराकरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में संस्था का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है. कार्यालयीन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध थाना पिपलानी में अपराध क्रमांक-315/2011 दर्ज कराया गया है. संस्था के अभिलेख उन्हें आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए हैं. कार्यालयीन अंकेक्षण कक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार संस्था का वर्ष 1987-88 एवं वर्ष 1990-91 से वर्ष 2011-12 तक का अंकेक्षण लंबित है. संस्था की सदस्य पंजी व सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं होने से संचालक मंडल के निर्वाचन कराया जाना भी संभव नहीं है. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है. संस्था के पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्य संस्था के क्रियाकलापों के संबंध में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संस्था को परिसमापन में लाये जाने के पर्याप्त आधार हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ/5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख, सहित दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था के समस्त सदस्यों को उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(461)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर-2012-आश्विन 13, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 जून, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है. राज्य में कहीं-कहीं वर्षा हुई है जो निम्नानुसार है :—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक. — तहसील विजयपुर (श्योपुर), डबरा (ग्वालियर), दतिया (दतिया), मुंगावली (अशोकनगर), पिछोर, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), पृथ्वीपुर, बल्लदेवगढ़ (टीकमगढ़), विजावर, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना (पन्ना), सागर, मालथौन (सागर), पटेरा (दमोह), रघुराजनगर (सतना), जैसिंहनगर (शहडोल), पाली (उमरिया), गोपदबनास, मझोली (सीधी), सुबासराटप्पा, गरोठ (मंदसौर), सरदारपुर, गंधवानी, डही (धार), खरगौन, झिरन्या, (प.निमाड़), बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), हुजूर (भोपाल), सीहोर (सीहोर), ढीमरखेड़ा (कटनी), तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला (मण्डला), लांजी, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक. — ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), अशोकनगर (अशोकनगर), करैरा (शिवपुरी), जतारा, टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), छतरपुर (छतरपुर), पवई (पन्ना), बीना, खुरई, बण्डा, देवरी, राहतगढ़ (सागर), हटा (दमोह), सिरमौर, हनुमना (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), सिहावल (सीधी), खाचरोद (उज्जैन), मानवर (धार), खण्डवा, हरसूद (पूर्व निमाड़), ब्यावरा (राजगढ़), बैरसिया (भोपाल), नसरुल्लागांज, बुधनी (सीहोर), बड़बारा (कटनी), गोटेगांव (नरसिंहपुर), चौरई (छिन्दवाड़ा), धनोरा, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक. — तहसील केसली (सागर), बटियागढ़, दमोह (दमोह), रामनगर (सतना), जैतपुर (शहडोल), जैतहारी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), तराना (उज्जैन), धार (धार), निवाली (बड़वानी), पंधाना (पू. निमाड़), खकनार, नेपालनगर (बुरहानपुर), राजगढ़ (राजगढ़), आष्टा, इछावर (सीहोर), सिवनी-मालवा (होशंगाबाद), पाटन, मझोली, कुण्डम (जबलपुर), करेली, नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), नैनपुर, घुघरी (मण्डला), जुन्नारदेव, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), वरघाट (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—श्योपुर, कराहल (श्योपुर), शिवपुरी, खनियाधाना, नरवर, कोलारस (शिवपुरी), ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), शाहनगर (पन्ना), गढ़ाकोटा (सागर), पथरिया (दमोह), कुसमी (सीधी), कुक्षी (धार), खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, पिंपरिया, बनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सिहोरा, जबलपुर (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, बरही (कटनी), निवास, बिछिया, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा परासिया, जामई, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, कुरई, घंसौर (सिवनी), बालाघाट, बारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार, प. निमाड़, बड़वानी, बुरहानपुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिन्दवाड़ा तथा सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा तथा सिवनी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सागर, रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, राजगढ़, भोपाल, बैतूल, नरसिंहपुर तथा छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20 जून, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुँरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. ..
1. अम्बाह	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुँरैना			
4. जौरा			
5. सबलगढ़			
6. कैलारस			
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	73.0	..	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	81.0	..	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	9.0	..			
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अटेर	4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भिण्ड	(2) ..		
3. गोहद			
4. मेहगांव			
5. लहार			
6. मिहोना			
7. रौन			
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	20.3	..	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	15.0	..	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार			
4. घाटीगांव	30.0	..			
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	8.0	..	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर			
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	115.2	..	4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	7.2	..	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	94.0	..			
4. नरवर	57.0	..			
5. करैरा	22.0	..			
6. कोलारस	118.0	..			
7. पोहरी	4.0	..			
8. बदरवास	17.0	..			

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	1.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. ईसागढ़	58.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	22.4				
4. चन्देरी	60.0				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाडी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	12.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	20.0				
4. टीकमगढ़	26.0				
5. बल्देवगढ़	6.0				
6. पलेरा	20.0				
7. मोहनगढ़	..				
8. ओरछा	..				
9. लिधौरा	..				
10. खरगापुर	वर्षामापी यंत्र नहीं.				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	29.2				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	9.0				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	13.2				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	11.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	2.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	23.4				
5. शाहनगर	86.4				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	24.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	20.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	31.2				
4. सागर	6.8				
5. रेहली	..				
6. देवरी	25.2				
7. गढ़ाकोटा	60.0				
8. राहतगढ़	33.0				
9. केसली	53.0				
10. मालथोन	12.8				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	23.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	39.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	50.0				
4. पथरिया	104.0				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	8.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	0.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	0.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	0.0				
4. नागौद	0.0				
5. उचेहरा	0.0				
6. अमरपाटन	0.0				
7. रामनगर	40.0				
8. मैहर	0.0				
9. बिरसिंहपुर	0.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	0.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	22.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	0.0				
4. मऊगंज	0.0				
5. मनगवां	0.0				
6. हनुमना	30.7				
7. हजूर	0.0				
8. गुढ़	0.0				
9. रायपुरकर्चुलियान	0.0				
10. जबा	0.0				
11. नईगढ़ी	0.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	9.0				
4. जैतपुर	48.0				
5. बुढ़ार	0.0				
6. गहवार	0.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	44.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	25.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	44.0				
4. पुष्पराजगढ़	41.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	29.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	13.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	30.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	8.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	28.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	16.0				
4. कुसमी	88.0				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	2.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2)	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	3.4				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धडका	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	30.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	53.0				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) प्याज अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. सोण्डवा	..				
3. अलीराजपुर	..				
4. कट्टीवाड़ा	..				
5. भामरा	..				
6. उदयगढ़	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	10.0				
3. धार	43.3				
4. कुक्षी	58.0				
5. मनावर	32.0				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	11.0				
8. डही	11.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	1.9				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्लान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	1.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	10.2		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टीकरी	10.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	10.0				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	12.0				
6. पाटी	10.0				
7. निवाली	37.0				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	31.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	35.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	27.0				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	2.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	43.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपालगर	49.2				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	58.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	42.2				
4. ब्यावरा	29.0				
5. सारंगपुर	7.5				
6. नरसिंहगढ़	54.2				
7. पचौर	..				
*जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	22.3		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	12.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	3.0		4. (1) गन्ना सुधरी हुई.	6. ..	8. ..
2. श्यामपुर	..		(2) ..		
3. आष्टा	45.0				
4. जावर	..				
5. इछावर	51.2				
6. नसरुल्लागंज	19.0				
7. बुधनी	18.0				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	205.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	70.5		(2) ..		
3. शाहपुर	221.2				
4. चिचौली	114.2				
5. बैतूल	96.4				
6. मुलताई	124.2				
7. आमला	96.0				
8. आठनेर	218.4				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	48.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	95.4		(2) ..		
3. बाबई	56.0				
4. इटारसी	85.2				
5. सोहागपुर	79.0				
6. पिपरिया	59.8				
7. वनखेड़ी	79.5				
8. पचमढी	121.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) गेहूँ समान.		
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	59.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	39.2		(2) ..		
3. जबलपुर	137.8				
4. मझौली	38.6				
5. कुण्डम	46.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	80.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	125.0		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	85.0				
4. बहोरीबंद	72.8				
5. ढीमरखेड़ा	9.0				
6. बरही	58.0				
7. बड़वारा	23.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	47.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	51.0				
4. गोटेगांव	18.0				
5. तेन्दूखेड़ा	17.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	67.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	97.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	42.5				
4. मण्डला	6.0				
5. घुघरी	37.7				
6. नारायणगंज	73.3				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	64.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	48.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	206.0				
4. जामई (तामिया)	139.8				
5. सोंसर	97.2				
6. पांहुर्णा	74.8				
7. अमरवाड़ा	154.0				
8. चौरई	34.2				
9. बिछुआ	39.0				
10. हरई	144.2				
11. मोहखेड़ा	20.8				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	91.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	103.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	94.8				
4. बरघाट	49.5				
5. कुरई	55.7				
6. घंसौर	91.0				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	33.8				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	70.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लॉजी	9.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	10.0				
4. वारासिवनी	77.9				
5. कटंगी	96.0				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, रतलाम, विदिशा, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(454)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खालियर द्वारा मुद्रित-2012.